न्यायालय, श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–नवम्, व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद।
पीठासीन पदाधिकारी – पंकज पाण्डेय
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 1456/2026
सलैया थाना कांड संख्या – 39/2026

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री रामावतार कुमार।
अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री राजाराम चौधरी।

बब्लू कुमार बनाम बिहार सरकार

29.06.2026 1. यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक बब्लू कुमार, पिता– गोपाल प्रसाद की ओर से सलैया थाना कांड संख्या–39/2026 में आरोपित धारा–143, 146 B.N.S. एवं 3, 14 बाल श्रम (प्रतिषेध और विनिमयन) अधिनियम 1986 के संबंध में गिरफ्तारी से पूर्व जमानत की मांग हेतु दाखिल किया गया है।

2. अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि सूचक संजीव कुमार, पिता– स्व0 चन्देश्वर प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0– सोहसा, थाना– मेहन्दिया, जिला– अरवल, का निवासी है। वर्तमान में सूचक श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मदनपुर के पद पर पदस्थापित है। श्रम संसाधन विभाग विभाग के जिला धावादल, औरंगाबाद द्वारा छापेमारी कर 01 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया, जिसकी विवरणी निम्न है– दिनांक 23.05.2026 को दिन के 10:15 बजे मेसर्स– पायल स्वीट्स, बेरी कलाली, मदनपुर, जिला– औरंगाबाद से कार्यरत 01 बाल श्रमिक रौशन कुमार, उम्र– 09 वर्ष लगभग, पिता– श्री स्व0 अर्जुन भारती, ग्राम– जीरा वार, थाना– प्रतापपुर, जिला– चतरा(झारखंड) को विमुक्त कराया गया। बाल श्रमिक के द्वारा बताया गया की नियोजक श्री बब्लू कुमार के द्वारा मारपीट भी की जाती थी। इस प्रतिष्ठान के नियोक्ता/मालिक श्री बब्लू कुमार, पिता– स्व0 गोपाल प्रसाद, ग्राम+पो0– बेरी, थाना– सलैया, जिला– औरंगाबाद के निवासी है। उपरोक्त कार्यरत एक बाल श्रमिक को मेसर्स– पायल स्वीट्स, बेरी कलाली, मदनपुर, जिला– औरंगाबाद से विमुक्त कराकर बाल कल्याण समिति औरंगाबाद के समक्ष दिनांक 23.05.2026 को 11:20 बजे शारीरिक रूप से उपस्थित कराते हुए उचित देखभाल एवं संरक्षण हेतु सुपुर्द किया गया है। जिला धवादल में अद्योहस्क्षरी के साथ–साथ 1. श्री संतोष कुमार सिंह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, रफीगंज, पिता– श्री राधेश्याम सिंह, ग्राम– शेरपुर, पो0– रौना, थाना– बेलागंज, जिला– गया मो0 7870958779 2. श्री अंजनी कुमार, पिता– गिरीजा शंकर द्विवेदी, पता– ग्राम– उतरी लखीवाग, पो0– मानपुर, थाना– मुफ्सिल, जिला– गया, पिन– 823003 मो0 8789236263 सम्मिलित थे। उपरोक्त वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि नियोजक श्री बब्लू कुमार पर उक्त बाल श्रमिक को अपने प्रतिष्ठान में नियोजित करने के लिए बाल एवं किशोर श्रम (प्र0 एवं वि0) अधिनियम, 1986 के उल्लंघन के लिए धारा–3/3A तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्यवाई करने की कृपा करें। उक्त तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी में नामित अभियुक्त के विरूद्ध सलैया थाना काण्ड संख्या–39/2026 के अंतर्गत धारा–143, 146 B.N.S. एवं 3, 14 बाल श्रम (प्रतिषेध और विनिमयन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अपने अग्रिम जमानत आवेदन में कथन किया है कि आवेदक निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक की ओर से कोई भी जमानत आवेदन पत्र श्रीमान् के न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। आवेदक सर्वथा निर्दोष है आवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी में जैसा आरोप लगाया गया है वैसी घटना या अपराध आवेदक के द्वारा कारित नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त को राजनीति के तहत फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध प्राथमिकी में लगाये गये आरोप मनगढंत और काल्पनिक है। आवेदक वादा करता है कि विचारण वाद में उपस्थित रहेगा मुकदमें में उचित पैरवी किया करेगे। आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है अतः आवेदक के विरूद्ध लगाये गये सारे आरोप झूठा है। प्रस्तुत मुकदमें में धारा–143, 146 B.N.S. एवं 3, 14 बाल श्रम (प्रतिषेध और विनिमयन) अधिनियम 1986 के तहत शुल्क के राशि जमा कर दिया गया है। आवेदक होटल के व्यवसाय कर अपने एवं अपने परिवार के जीविकोपार्जन किया करता है। आवेदक के निवास श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है अतः आवेदक को फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक के होटल में स्थानीय नेता प्रफुल्ल सिंह ने खाना खाया और आवेदक के द्वारा खाना के पैसा मांगने रंजिश होकर आवेदक के श्रम पदाधिकारी के मेल में लाकर झूठा केस में फंसा दिया है। आवेदक परिवार प्रतिष्ठा और सम्पति वाला व्यक्ति है और श्रीमान के आदेशानुसार बंध पत्र देने को तैयार है। अतः निवेदन है आवेदक अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाये।

लगातार.....

न्यायालय, श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–नवम्, व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद।
पीठासीन पदाधिकारी – पंकज पाण्डेय
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 1456/2026
सलैया थाना कांड संख्या – 39/2026

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री रामावतार कुमार।
अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री राजाराम चौधरी।
लगातार.....
दिनांक 29.06.2026

4. दूसरी ओर अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक अभियुक्त के अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया गया, उनके द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध बाल श्रमिक रोशन कुमार के साथ बालश्रम कराने एवं उसके साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप है तथा आवेदक अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

5. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं प्राथमिकी तथा काण्ड दैनिकी का आवलोकन किया। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी के अवलोक से विदित होता है कि कांड दैनिकी के कंडिका 3 में वादी ने अपने पुनः बयान में घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका 18 में पीड़ित बालक की मां साक्षी सहवा देवी ने अपने बयान में कथन किया है कि मेरे पति के मरने के बाद घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी। भरण पोषण अकेले करना मुश्किल हो गया रोशन मेरा सबसे बड़ा लड़का है आर्थिक कमजोरी के कारण ही मैंने अपने बेटे रौशन कुमार को सलैया में काम करने के लिए भेजा था। करीब 5–6 महीने से वह यहां काम कर रहा था। काम के बदले 3000/– रूपये मिलता था जो रौशन घर भेजता था। इन्ही पैसो से हम लोगों का किसी तरह से घर चलता था। गरीबी के कारण मैंने अपने बच्चे रौशन कुमार को काम करने के लिए भेजी। आवेदक अभियुक्त(नियोजक) द्वारा के बालश्रम (प्रतषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत उल्लंघन के लिए 20000/– रूपये की राशि जिला बाल श्रमिक सह कल्याण कोष में नियोजक द्वारा जमा कर दी गई है जिस संबंध में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मदनपुर के पत्रांक 73 में दिनांक 05.06.2026 में उल्लेख है। आवेदक अभियुक्त को B.N.S.S. की धारा– 35(3)के तहत विधिवत नोटिस का लाभ प्रदान किया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास कांड दैनिकी में अंकित नहीं है। वाद में अनुसंधान जारी है।

6. अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में उपरोक्त आवेदक अभियुक्त **बब्लू कुमार** को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। तद्नुसार उपरोक्त आवेदक अभियुक्त बब्लू कुमार के गिरफ्तार होने अथवा विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति/संसुचित होने के 30 दिन के अंदर आत्मसमर्पण होने की स्थिति में आवेदक अभियुक्त को मो0 25000/– रूपये सह समान राशि के सहित बंधपत्र दाखिल करने पर न्यायालय की संतुष्टि पर भा0ना0सु0सं0 की धारा 482 (2) के शर्तों के अधीन जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही साथ अभियुक्त बब्लू कुमार को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे तथा वाद विचारण में सहयोग करेंगे। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान निम्न न्यायालय को अविलंब भेजे।

लेखापित
ह0/

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्।
औरंगाबाद।

ज्ञापांक संख्या– **दिनांकः–**
आदेश की प्रति सम्बन्धित न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ हेतु प्रेषित ।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्।
औरंगाबाद।

न्यायालय, श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–नवम्, व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद।

पीठासीन पदाधिकारी – पंकज पाण्डेय

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या – 1456/2026

सलैया थाना कांड संख्या – 39/2026

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री रामावतार कुमार।

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री राजाराम चौधरी।